

**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या: प्राथमि/प्रीमि/सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ, दिनांक 15.5.2019

**-कार्यालय आग-**

प्रतिष्ठित भारतीय नवजाती शिक्षा परिषद द्वारा निर्दिष्ट सत्र 2019-20 हेतु द्वितीयक स्तरीय नवजाती शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने का उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14.5.2019 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सचिव कार्यालय में बैठक-सम्मेलन हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु कार्यालय नई साधनों को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता सम्बन्धित नए सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/सहायक शिक्षक/शुल्क हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

उक्त के अनुमोदन में सम्बद्धता निर्णय की बैठक में पर 1 में निर्दिष्टक द्वय कार्यालय कार्यालय सम्बद्धता करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता सचिव द्वारा सत्र विचार विमर्श का निर्णय निर्णय किया गया।

एनआईसीटीआईटीई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सलगनक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध विधोमा कार्यालय संस्थाओं के संबंध में सचिवि द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से सलगनक 2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ किया गया कि संस्थाओं को विधोमा द्वय कार्यालय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संसृति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्यालयिण प्राप्त होने के पूर्व पीसीसीआईटीई अनुमोदन पर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।

इस निर्णयकार अखिल संस्था को परिषद की निर्णय सचिवि एच अनुमोदन प्रदान की गई। संसृति तथा सम्बद्धता निर्णय द्वारा किये गए निर्णय में अखिल पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निर्णयित कार्य के अखिल प्रस्तावक पर उत्तर अंकित प्रेषण हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम	पता का नाम	आवृत्त का नाम	एनआईसीटीआईटीई/पीसीसीआईटीई द्वारा किये गए अनुमोदन का क्र. सं.	परिषद द्वारा किये गए अनुमोदन का क्र. सं.	सत्र
1	2751	न.उत्तर प्रदेशी संस्थाओं के विस्तार हेतु निर्णय 2019-20	अखिल	2019-20	4	2019-20

**संबद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एनआईसीटीआईटीई द्वारा निर्णयित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था अपने प्रदात कार्यालय तथा विस्तार हेतु सत्र 2019-20 में अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सचिव कार्यालय में बैठक-सम्मेलन में भाग लेगी।





**कार्यालय,  
कारि, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश अधिनियम।**

संख्या - कारिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लगावका दिनांक: 15-9-2020

**:- कार्यालय धाप :-**

उत्तर प्रदेश राजकीय शिक्षा परिषद एवं दिल्ली/राजकीय कार्यालय जीव दुधिया, एवं दिल्ली द्वारा सैकित सत्र 2020-21 हेतु विदेशी कारिप राजकीय शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अधिसूचना प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना नं. कारिप कार्यालय नं. 2020/1871 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु कारिप एवं संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संस्थागत संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अथवा नुवि सहित अन्य बातों पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिए निर्देश दिया गया।

उक्त के अनुसार नं. सम्बद्धता कारिप की सूची नं. 2020-21 नं. विदेशी एवं राजकीय पाठ्यक्रम प्राथमिक करने वाली पूर्ण से सम्बद्ध संस्थाओं को प्रदान करा गया। सम्बद्धता कारिप द्वारा सत्र 2020-21 के लिए निर्देश दिए गए -

" निजी क्षेत्र में स्थापित विदेशी एवं भारतीय पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अधिनियम से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु सीसीआई द्वारा उक्त संस्थाएं अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में सीसीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अतिरिक्त पाठ्यक्रम/प्रवेश अथवा के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सहित द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से सीसीआई द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय किया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अधिसूचना कारिप की सूची नं. 2020-21 नं. विदेशी एवं राजकीय पाठ्यक्रम प्राथमिक करने वाली पूर्ण से सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	परिषद का पता	सीसीआई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया	सीसीआई/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया
1	2791	राजकीय जे. ए. प्रो. विद्यालय, राजकीय, उत्तर प्रदेश	कारिप एवं राजकीय	हां	हां

**सम्बद्धता हेतु सूची**

- ✓ सत्र 2020-21 के लिए सीसीआई/परिषद द्वारा निर्देशित की गयी सूची का पूर्णतः पालन करने।
- ✓ सत्र 2020-21 के लिए प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद विदेशी विदेशी 1882, सैकित विदेशी-2020 तथा अन्य विदेशी विदेशी एवं अतिरिक्त अनुमोदन करने तथा अन्य विदेशी अतिरिक्त द्वारा निर्देशित द्वारा सत्र 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम हेतु नं. 2020/1871-2020, दो सूची राजकीय पाठ्यक्रम हेतु नं. 2020/1871-2020, अतिरिक्त एवं सत्र 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम हेतु सूची राजकीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु नं. 2020/1871-2020 अतिरिक्त द्वारा सत्र 2020-21 के लिए निर्देशित करने। राजकीय के अतिरिक्त एवं/अथवा के द्वारा नं. सत्र 2020-21 के लिए निर्देशित करने।



1-3



**सर्वज्ञान,  
सवित्र प्रशिक्षित शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या:- प्रशिक्षण/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

तारीख:- दिनांक: 06/06/2021

**सर्वज्ञान द्वारा:**

सर्वज्ञान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्राचीन कायमिन और इतिहास, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए गये के उपरान्त प्राशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/06/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता त्रिपट्टि की शैक प्रदान हुई। शैक में त्रिपट्टि द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता; पूर्व में स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विभाग/ प्रशासन; प्रदेश अपना वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता; सम्बद्धता विभाग प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता त्रिपट्टि की शैक में मिले गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रशिक्षित करने के लिये परम्परागत एवं उच्च शिक्षा प्रदेश प्रदान हेतु सम्बद्धता विभाग प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 2751-NANDLAL PRABHU DEVI PROFESSIONAL STUDIES, ALLAHAPUR, NAWABGANJ, BARABANKI**

क्र.सं.	पठकक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60 60

संस्था हेतु सत्र

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा परिषद को सत्र करने शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राशिक्षित शिक्षा परिषद एन 1962 तथा प्राशिक्षित शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, संशोधित विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्दिष्ट नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण त्रिपट्टि द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पर्याप्त होगा हेतु सत्र 30-50,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए पर्याप्त सत्र 60,000/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो वर्षों के लिए पर्याप्त (दो वर्षों के लिए पर्याप्त सत्र 60,000/- प्रतिवर्ष) हेतु सत्र-22500/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष पर्याप्त हो सके बिना जायेगा; उपरोक्त के अतिरिक्त सत्र 60,000/- प्रतिवर्ष के शुल्क के सम्बन्ध में सत्र-2016 या सत्र-2017 का निर्णय किये जाने वाले संशोधित निर्णयों को, और तदुपरोक्त निर्णयों की प्रतियाँ संस्था को भेजी जायेंगी। संस्था को सत्र 2021-22 हेतु शैक का पूर्णपालन किया जाता है, तो शैक की नवीकरण एवं जारी होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राशिक्षित शिक्षा परिषद तथा उच्च शिक्षा परिषद) संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना; विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विलोपन एवं जाने की विधि में उच्च शिक्षा परिषद के निर्देशनुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सत्र-समय पर विभिन्न संशोधनों के अनुसार परिष्कार एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना सम्भव होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधिविधियों/प्रविनियमों/आदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राशिक्षित शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्राशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राशिक्षित शिक्षा परिषद, 1992 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।



विषयों पर परामर्शी पाठ्यक्रम की संरचना यदि भी नहीं आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है जो इस संदर्भ में सफल उभरकरियल संस्था का होगा और विभिन्न रूप से किसी भी संघर्षशील के लिए संस्था सहायक उपरदायी होगी। प्रारंभिक शिक्षा परिवर्तन, अनुसंधान प्रवेश परीक्षा परिवर्तन, प्रारंभिक शिक्षा विभाजन एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग उच्च प्रवेश प्रवेश को कोई वाद प्रवेश किया जाता है तथा प्रवेश संघ के संघर्ष में या आवश्यक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संघर्षी आदेश निर्देश किया जाता है तो सफल प्रतिवृत्ति संघर्षी संस्था को जारी होती।

- ✓ विषयों पर परामर्शी पाठ्यक्रम संघर्षित करने वाली संस्थाओं को अनुसंधान प्रवेश परीक्षा परिवर्तन, उच्च प्रवेश संघर्षित द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आर्थिक प्रवेश परीक्षा हेतु कठिनाई प्रवेश होने के पूर्व परीक्षा/आदेश में अनुमोदन प्राप्त करना परीक्षा संघर्षित को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उच्च प्रवेश की (कठिनाई) के माध्यम से प्रवेश संस्था सहायक को कोई प्रवेश की जायेगी।
- ✓ उच्च प्रवेश संघर्षित द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश नवीकरण संघर्षित निर्देशों का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संघर्षित सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृत्ति वृत्ति, स्थापना, मान-सम्मान, उपलब्धता, प्राप्त किया जाने वाला सुनकर, साक्षात्कार सुनकर आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु अनुसंधान प्रवेश प्रवेश करने के साथ संघर्षित संघर्षित के संघर्षित में संघर्षित उपलब्धता संघर्षित सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो मे कि संस्था में प्रारंभिक संघर्षित पाठ्यक्रम को संघर्षित करने हेतु निर्देशित संघर्षित के संघर्षित उपलब्ध कराये गये प्रतिवृत्ति, सुनिश्चित, परीक्षा, उपलब्धता प्रवेशित का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघर्षित में प्रवेश किया जाता है और परीक्षा को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरदायी का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संघर्षित संस्था की संघर्षित संघर्षित किने जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निर्देशित संघर्षित यदि संस्था में वृत्ति, भवन, प्रवेशित, उपलब्धता एवं अन्य मान-सम्मान (उपलब्धता/उपलब्धता/परिष्कार/परिष्कार) के माध्यम से उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की संघर्षित संघर्षित कर दी जायेगी।
- ✓ संघर्षित नहीं का अनुमोदन न किया जाने अर्थात् नहीं का उपलब्धता किने जाने की विधि में विषयसूचक अनुसंधान/संघर्षित संघर्षित की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)  
सचिव

फ़ोन- 0538-2021/3538-4808

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिपत्ति:

प्रधानाचार्य/निदेशक, NANDLAL PRABHU DEVI PROFESSIONAL STUDIES, ALLAHAPUR, NAWABGANJ, BARABANKU



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव